निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

इजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 06/2017

दिनांक:– 19/5/17

उनवान:–

1– भंवरलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा आयु 70 साल निवासी जलोदा जागीर तह0 छोटीसादडी

2– छोगालाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा आयु 66 साल निवासी जलोदा जागीर तह0 छोटीसादडी

3– मिट्ठूलाल पिता सुखलाल जी जाति जणवा आयु 56 साल निवासी जलोदा जागीर तह0 छोटीसादडी

4– रामेश्वर पिता सुखलाल जी जाति जणवा आयु 52 साल निवासी जलोदा जागीर तह0 छोटीसादडी

––प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी

––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित प्रार्थी की ओर से:– अधिवक्ता श्री रामप्रसाद जणवा
अप्रार्थी की ओर से :– तहसीलदार छोटीसादडी

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– प्रार्थीगणों ने एक प्रार्थना पत्र धारा 136 ले0रे0एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा मोतीपुरा प0ह0 जलोदा जागीर के आराजी नं0 88 रकबा 1–80 हैक्टेयर जिसके पडौस पूर्व में भेरूलाल धाकड की आराजी, पश्चिम में भेरूलाल धाकड की आराजी, उत्तर में धूला जी धाकड की आराजी, दक्षिण में कनीराम धाकड की आराजी स्थित हैं। उपरोक्त चारों पडौसियान के बीच की आराजी जो प्रार्थीगणों के कब्जेकाश्त में चली आ रही हैं जिसे इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित की जावेगी। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगणों के पिता सुखलाल पिता नेन्दा जी जणवा ने जयचंद पिता चेना जी जणवा से बिल एवज 3000 अक्षरे तीन हजार रुपये में जरिये विक्रय पत्र खरीदी थी। इसके साथ अन्य आराजी नं0 पुराना 8 रकबा 2बीघा 13 बिस्वा, आराजी नं0 366 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नं0 750 रकबा ढाई बीघा, आराजी नं0 966 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नं0 7 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नं0 963 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, आराजी 966/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भी खरीदी थी इसी प्रकार मोतीपुरा की आराजी के साबिक आराजी नं0 42 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व आराजी नं0 192 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा कुल 9 कीता क्रय की थी जो प्रार्थना पत्र में दर्शायी गयी हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे लिखा कि उपरोक्त सभी आराजी का नामान्तरण तो प्रार्थीगणों के पिता के नाम पर हो चुका किन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारी की गलती के कारण साबिक आराजी नं0 42 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जिसके वर्तमान नये नम्बर 88 ...

त्रुटि के कारण इस का नाम दर्ज हो गया हैं इस कारण प्रार्थीगण अपना नाम दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी भंवरलाल का शपथ पत्र पेश किया। व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी मौजा मोतीपुरा सम्वत 2070 से 73, नकल विकय पत्र दिनांक 07–07–1949 का, नकल मिलान क्षैत्रफल मौजा मोतीपुरा, नकल जमाबन्दी जलोदा जागीर सम्वत् 2068 से 71 की पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया।

बहस उपम्यपक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये नाम को सही करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई बहस नहीं की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया गया। जिसमें नकल विकय पत्र में प्रार्थीगणों के पिता सुखलाल पिता गेन्दा जणवा ने प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आराजी को बिल एवज 3000 रूपये में खरीदी गई थी।तथा इस विकय पत्र की रूह के आधार पर प्रार्थीगणों के पिता के नाम पर समस्त आराजीयात का नामान्तरण भी हो चुका था परन्तु साबिक आराजी नं0 42 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये नम्बर 88 रकबा 1.60 हैक्टेयर का नामान्तरण राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थीगण के पिता के नाम से नहीं खोला। साबिक आराजी नं0 88 का हवाला विकय पत्र की पेज नं0 2 पर पांचवे लाईन में दे रखा हैं। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थीगण के पिता ने यह आराजी भी जयचंद पिता चेना से खरीदी थी। परन्तु सहवन से इस आराजी का नामान्तरण अन्य व्यक्ति के नाम पर खोल दिया गया परन्तु जिस व्यक्ति के नाम पर नामान्तरण खोला गया उस नाम का व्यक्ति ग्राम मोतीपुरा में नहीं रहता हैं। यह त्रुटि मात्र तकनीकी लेखन की त्रुटि हैं जिसका संशोधन किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास किया जाकर मेरे निजी एवं विधि सम्मत राय में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर साबिक आराजी नं0 42 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जिसके वर्तमान नये नंबर 88 रकबा 1.60 हैक्टेयर में लाला पिता सुखा धाकड का नाम विलोपित किया जाकर लाला पिता सुखा धाकड के बजाय प्रार्थीगणों का नाम अमल दरामद किया जावे। इस आशय की तहरीर अलग तहसीलदार छोटीसादडी के नाम से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19-5-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ